पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-960
दिनांक- 28.04.2025

जोन- उत्तरी/ थाना-अलीगंज

- 01 नफर वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

01-सक्षिप्त विवरण:-

मा0 न्यायालय लखनऊ द्वारा निर्गत गैर जमानती वारंटवाद संख्या 91667/2022,धारा 138 एनआई एक्ट थाना गोमतीनगर जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त अमर कुमार पुत्र स्व0 रामेश्वर प्रसाद नि0 538/410 आदर्शपुरम त्रिवेणीनगर-3 थाना अलीगंज लखनऊ उम्र 31 वर्ष को उसके निवास स्थान त्रिवेणीनगर-3 से आज दिनांक 28.04.2025 को गिरफ्तार किया गया, वारंटी उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय से अग्रिम एवं विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-अपराध का उद्देश्य:-

चेक बाउन्स होने के सम्बन्ध मे।

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1.अमर कुमार पुत्र स्व0 रामेश्वर प्रसाद नि0 538/410 आदर्शपुरम त्रिवेणीनगर-3 थाना अलीगंज लखनऊ उम्र 31 वर्ष(व्यवसाय-ड्राइविंग)।

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री अभय कुमार बाजपेई थाना अलीगंज जनपद लखनऊ
2. का0 विपिन कुमार वर्मा अलीगंज जनपद लखनऊ

03-मृतकों के नाम-

1- राम सवारे पुत्र जोधे निवासी करसाहन पुरवा थाना कैसरगंज जनपद बहराइच उम्र करीब 39 वर्ष

2- मुकेश कुमार रावत उर्फ नन्हू पुत्र जुग्गीलाल निवासी 155 विशालखण्ड डिगडिगा थाना गोमतीनगर लखनऊ उम्र करीब 30 वर्ष

04-गिरफ्तार/संरक्षण लिये गये अभियुक्त का नाम पता

- 01 नफर बाल अपचारी।

05-पंजीकृत अभियोग

01-मु0अ0स0 166/2025 धारा 103(1)/109(1) बीएनएस व बढोत्तरी धारा 3(5)/238 बीएनएस थाना गोमतीनगर लखनऊ

06-बाल अपचारी को संरक्षण में लेने वाली पुलिस टीम थाना गोमतीनगर-

1- श्री राजेश कुमार त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक

2- का0 अंकुर चौधरी,

3- का0 पवन कुमार

4- का0 श्याम मोहन मिश्रा

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-950
दिनांक-28.04.2025

जोन दक्षिणी-थाना गोसाईगंज

- **नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी 03 नामजद अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **थाना गोसाईगंज पुलिस की कार्यवाही।**

01-कार्यवाही-

दिनांक 27.04.2025 को नाबालिग किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के संबंध में वादिनी मुकदमा द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0.192/2025 धारा 70(2) बीएनएस व 5g/6 पाक्सो एक्ट बनाम 03 नामजद अभियुक्तों के पंजीकृत हुआ था।

श्रीमान पुलिस आयुक्त, लखनऊ महोदय के निर्देशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस उपायुक्त, दक्षिणी के कुशल पर्यवेक्षण, अपर पुलिस उपायुक्त, दक्षिणी व सहायक पुलिस आयुक्त, के कुशल मार्गदर्शन एवं प्रभारी निरीक्षक ब्रजेश कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में थाना पुलिस द्वारा उपरोकत अभियोग से संबंधित अभियुक्त-

01. **मो0 मुस्ताक** पुत्र अनवर अली उम्र 21 वर्ष नि0 ग्राम जौखण्डी थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ
02. **साहिल** पुत्र रईस उम्र 21 वर्ष नि0 ग्राम जौखण्डी थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ
03. **अहसान** पुत्र इसरार उम्र 19 वर्ष नि0 ग्राम जौखण्डी थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ को आज दिनांक 28.04.2025 को मुखबिर खास की सूचना पर गोसाईगंज मोहनलालगंज रोड पर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के नीचे से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-अपराध का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 27.04.2025 को थाना क्षेत्र निवासी वादी मुकदमा द्वारा स्वयं की नाबालिग पुत्री उम्र करीब 12 वर्ष 06 माह को विपक्षीगणो द्वारा जबदरस्ती पकड़ कर गांव के ही इजहार पुत्र अजीज की महिन्द्रा पिकप सं0 UP 32 NN 6780 में ले जाकर दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में एक लिखित प्रार्थनापत्र दिया गया, प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल **थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 192/2025 धारा 70(2) बीएनएस व 5g/6 पाक्सो एक्ट पंजीकृत कर दुष्कर्म आरोपी 03 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।**

03-नाम पता अभियुक्तगण–

1.मो0 मुस्ताक पुत्र अनवर अली उम्र 21 वर्ष नि0 ग्राम जौखण्डी थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ

2.साहिल पुत्र रईस उम्र 21 वर्ष नि0 ग्राम जौखण्डी थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ

3.अहसान पुत्र इसरार उम्र 19 वर्ष नि0 ग्राम जौखण्डी थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ

04-गिरफ्तारी दिनांक व स्थान-

गोसाईगंज-मोहनलालगंज रोड पर पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के नीचे से, दिनांक 28.04.2025

05-आपराधिक इतिहास

01-मु0अ0सं0 192/2025 धारा 70(2) बीएनएस व 5g/6 पाक्सो एक्ट थाना गोसाईंगज लखनऊ

06-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 प्रभात कुमार शुक्ला
2. उ0नि0 चन्द्रशेखर
3. उ0नि0 श्री लाल सिंह
4. का0 शिवप्रताप
5. का0 सुखराम

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-959
दिनांक-28.04.2025

जोन-पश्चिमी/थाना-काकोरी

आपरेशन कन्विक्शन के तहत थाना काकोरी पुलिस एवं अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयास से मा0 न्यायालय द्वारा धारा 395/397/412/205/34 भादवि के अभियुक्त को 07 वर्ष के कठोर कारावास व 10000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

01-संक्षिप्त विवरण-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के दृष्टिगत श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण व अपराधियों को माननीय न्यायालयों मे अधिकाधिक सजा कराये जाने के दृष्टिगत माननीय न्यायालयों में सघन पैरवी के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त (अपराध) व श्री विश्वजीत श्रीवास्तव पुलिस उपायुक्त (पश्चिमी) के कुशल पर्यवेक्षण एवं श्री धनंजय कुशवाहा अपर पुलिस उपायुक्त (पश्चिमी) तथा श्री शकील अहमद सहायक पुलिस आयुक्त काकोरी के निर्देशन में एवं प्रभारी निरीक्षक सतीश राठौर थाना काकोरी जनपद लखनऊ के नेतृत्व में व थाना स्थानीय के पैरोकार का0 1828 प्रवीण कुमार के अथक प्रयास व प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय ADJ/SPL ATS महोदय जनपद लखनऊ के निर्णायक फैसला दिनांक 28.04.2025 सम्बन्धित, मु0अ0सं0 85/2018 वाद संख्या 511/2025 धारा 395/397/412/205 भा0द0वि0 थाना काकोरी जनपद लखनऊ से सम्बन्धित अभियुक्त 1. महेश उर्फ महेन्द्र पुत्र ओमीराम निवासी ख्वाजा कालोनी धक्का बस्ती थाना बीछवाल जनपद बीकानेर राजस्थान को दोषसिद्ध करते हुए धारा 395 भादवि में 07 वर्ष के कठोर कारावास व 10000 रुपये के अर्थदण्ड से , धारा 397 भा0द0वि0 में 07 वर्ष के कठोर कारावास व 10000 रुपये के अर्थदण्ड से ,धारा 412 भा0द0वि0 में 07 वर्ष के कठोर कारावास व 10000 रुपये के अर्थदण्ड से, धारा 205 भा0द0वि0 में 02 के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है एवं सभी सजाए एक साथ चलेगी । अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगा जायेगा ।

02-नाम व पता अभियुक्त / सम्बन्धित अभियोग व सजा-

1. महेश उर्फ महेन्द्र पुत्र ओमीराम निवासी ख्वाजा कालोनी धक्का बस्ती थाना बीछवाल जनपद बीकानेर राजस्थान

03-आपराधिक इतिहास अभियुक्त -

क्र.सं.	मु.अ.सं.	धारा	थाना
1.	85/2018	395/397/412/205 भा0द0वि0	काकोरी

फैसला -

अभियुक्त 1. महेश उर्फ महेन्द्र पुत्र ओमीराम निवासी ख्वाजा कालोनी धक्का बस्ती थाना बीछवाल जनपद बीकानेर राजस्थान को दोषसिद्ध करते हुए धारा 395 भादवि में 07 वर्ष के कठोर कारावास व 10000 रुपये के अर्थदण्ड से , धारा 397 भा0द0वि0 में 07 वर्ष के कठोर कारावास व 10000 रुपये के अर्थदण्ड से ,धारा 412

भा0द0वि0 में 07 वर्ष के कठोर कारावास व 10000 रुपये के अर्थदण्ड से, धारा 205 भा0द0वि0 में 02 के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है । अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा।

पैरवीकर्ता-

01. प्रभारी निरीक्षक सतीश राठौर थाना काकोरी लखनऊ

02. पैरोकार का0 प्रवीण कुमार थाना काकोरी जनपद लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं-955
दिनांक-28.04.2025

जोन - दक्षिणी/थाना-कृष्णानगर

- **रैकी कर मंदिरो के दान पात्र से रुपयों की चोरी करने वाले 04 नफर बाल अपचारियों को पुलिस संरक्षण में लिया गया।**
- **कब्जे से चोरी के 732/- रुपये नगद बरामद।**
- **कोतवाली कृष्णानगर पुलिस टीम की सफलता।**

01-कार्यवाही विवरण-

थाना कृष्णानगर पुलिस टीम द्वारा मंदिरों के दान पात्र से चोरी करने वाले 04 नफर बाल अपचारी को आज दिनांक 28.04.2025 को समय 05.40 बजे पुलिस संरक्षण में लेकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 27.04.2025 को वादी मुकदमा श्री महेन्द्र कुमार शुक्ल पुत्र श्री सूर्य पाल शुक्ल निवासी इन्द्रेश्वर महादेव मन्दिर इन्द्रलोक कालोनी थाना कृष्णानगर लखनऊ की तहरीरी सूचना पर मु0अ0सं0-0200/2025 धारा 331(4)/305(a) भा0न्याय0सं0 थाना कृष्णानगर जनपद लखनऊ, बनाम- अज्ञात चोर, बाबत अज्ञात चोर द्वारा इन्द्रेश्वर महादेव मन्दिर के दानपात्र को तोड़कर रुपये चोरी कर लेने के सम्बन्ध में पंजीकृत कराया गया था।

मुकदमा उपरोक्त में शीघ्र अनावरण एवं अभियुक्तगण गिरफ्तारी हेतु 02 टीमें गठित की गयी। जिनके द्वारा सीसीटीवी फुटेज अवलोकन,सीडीआर अवलोकन, ग्राउण्ड सूचना की सहायता से घटना में संलिप्त 04 बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया।

03-मॉड्यूस ऑपरेंडीः-

संरक्षण में लिये गये बाल अपचारियो ने पूछताछ में बताया कि हम चारों ने मिलकर विजयनगर ,कृष्णानगर स्थित इन्द्रेश्वर मंदिर के दान पात्र को तोड़कर रुपये की चोरी की थी, बरामद रुपये को हम सभी ने आपस में बांट लिया था। हम सभी ने प्राप्त रुपयों से अपने लिये दैनिक प्रयोग हेतु सामान खरीद लिये थे।

04-अनावरित अभियोग-

01-मु0अ0सं0-0200/2025 धारा 331(4)/305(a) भा0न्याय0सं0 थाना कृष्णानगर जनपद लखनऊ।

05-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता/व्यवसायः-

- 04 नफर बाल अपचारी।

06-बरामदगी–

- चोरी के कुल 732/- रुपये बरामद।

07-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

- कोतवाली कृष्णानगर पुलिस टीम, कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-962

दिनांक-28.04.2025

- **01 नफर वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण: –

थाना स्थानीय पर न्यायालय अतिरिक्त न्यायालय वाराणसी का केस नं0 653/2023 धारा -138 एनआई एक्ट थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी से सम्बन्धित वारंटी सतीश कुमार सिंह पुत्र उदयराज सिंह निवासी 538ख/278 शिवनगर खदरा नियर अरविन्द इण्टर कालेज थाना मदेयगंज लखनऊ का गिरफ्तारी अधिपत्र प्राप्त हुआ था। माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में थाना स्थानीय की पुलिस टीम द्वारा वारण्टी सतीश कुमार सिंह की गिरफ्तारी हेतु तलाश की जा रही थी कि मुखबिर खास की सूचना पर वारण्टी सतीश कुमार सिंह पुत्र उदयराज सिंह निवासी 538ख/278 शिवनगर खदरा नियर अरविन्द इण्टर कालेज थाना मदेयगंज लखनऊ हाल पता- 613/पी0012 सीतापुर रोड विवेकानंद विद्यालय गौर भीठ घैला लखनऊ उम्र 43 वर्ष को शिवनगर ढाल के पास से दिनांक-27.04.2025 को गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी।

02-सम्बन्धित वाद/अभियोग-

केस नं0 653/2023 धारा -138 एनआई एक्ट थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. सतीश कुमार सिंह पुत्र उदयराज सिंह निवासी 538ख/278 शिवनगर खदरा नियर अरविन्द इण्टर कालेज थाना मदेयगंज लखनऊ हाल पता- 613/पी0012 सीतापुर रोड विवेकानंद विद्यालय गौर भीठ घैला लखनऊ उम्र 43 वर्ष

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सकीना खान थाना मदेयगंज कमिश्नरेट लखनऊ।
2. उ0नि0 विनोद कुमार थाना मदेयगंज कमिश्नरेट लखनऊ।
3. मुख्य आरक्षी जितेन्द्र सिंह थाना मदेयंगज लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं-954
दिनांक-28.04.2025

जोन-मध्य/ थाना-महानगर

- तंत्र-मंत्र करने के बहाने लोगों को अपने झांसे में लेकर टप्पेबाजी करने वाले करने वाले गिरोह का खुलासा।
- गिरोह के 03 शातिर टप्पेबाजों को गिरफ्तार करते हुए एक बाल अपचारी को संरक्षण में लिया गया ।
- थाना महानगर पुलिस की कार्यवाही।

01.संक्षिप्त विवरण–

अभियुक्तगण 1.कंदुनाथ पुत्र सरुपनाथ निवासी जीवन नगर वार्ड 11 मालउत मुक्तसर पंजाब उम्र करीब 54 वर्ष 2. अर्जुन पुत्र लडूनाथ निवासी दत्ता रोड जौगीनयनवाली बस्ती कोटसेखा मोगा पंजाब उम्र करीब 20 वर्ष तथा 3. नैलूनाथ पुत्र माखननाथ निवासी जीवननगर वार्ड 11 मालउट मुक्तसर पंजाब उम्र करीब 40 वर्ष व बाल अपचारी निवासी जोगियन वाली बस्ती फरीदकोट पंजाब उम्र करीब 17 वर्ष द्वारा गिरोह बनाकर साधु के वेषभूषा में सम्मोहन करके टप्पेबाजी की घटना कारित करने के 12 घण्टे के अन्दर ही कार्यवाही करते हुए सभी को गिरफ्तार किया गया व घटना दिनांक 27.04.2025 को वादी मुकदमा की तहरीरी सूचना के आधार पर थाना महानगर पर मु0अ0सं0-96/2025 धारा- 318(4)/317(2)/3(5) बीएनएस व मु0अ0सं0- 97/2025 धारा- 318(4)/317(2)/3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1.कंदुनाथ पुत्र सरुपनाथ उम्र करीब 54 वर्ष 2. अर्जुन पुत्र लडूनाथ उम्र करीब 20 वर्ष तथा 3. नैलूनाथ पुत्र माखननाथ उम्र करीब 40 वर्ष व बाल अपचारी उम्र करीब 17 वर्ष उपरोक्त को थाना महानगर पुलिस द्वारा आज दिनांक 27.04.2025 को बादशाहनगर रेलवे स्टेशन के पास महानगर लखनऊ से गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

02-अपराध का तरीका-

अभियुक्तगण 1.कंदुनाथ पुत्र सरुपनाथ उम्र करीब 54 वर्ष 2. अर्जुन पुत्र लडूनाथ उम्र करीब 20 वर्ष तथा 3. नैलूनाथ पुत्र माखननाथ उम्र करीब 40 वर्ष व बाल अपचारी दीपक पुत्र टींडानाथ उम्र करीब 17 वर्ष उपरोक्त द्वारा साधू के भेष धारण कर साथ में चल रहे बाल अपचारी को राह चलते लोगों के पास भेजते हैं तथा बाल अपचारी द्वारा 10 रूपये व 20 रूपये की माँग की जाती है,

जिसके बाद में कुछ मंत्र पढ़कर हाथ सफाई करते हुए मंत्र पढ़ते हुए सामने वाले व्यक्ति के हाथ में रुपये चावल के साथ रखते हैं, मुट्ठी बंद कराते हैं थोड़ी देर में मंत्र पढ़ने के बाद बताते हैं कि हाथ की मुट्ठी खोलकर देखो मुट्ठी खोलकर देखने पर रूद्राक्ष मिलता है तत्पश्चात उस व्यक्ति को किनारे एकान्त में ले जाकर **सम्मोहित(hypnotized)** करते हुए कीमती चीजें जैसे चैन, अंगूठी, रूपये आदि लेकर भाग जाते हैं ।

यह लोग मूलत: पंजाब से आकर लखनऊ के रेलवे स्टेशनों पर रात्रि मे गुजर बसर करते हैं तथा लखनऊ क्षेत्र में घटना का अंजाम देकर ट्रेन से पंजाब चले जाते हैं ।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

(1). कंदुनाथ पुत्र सरुपनाथ निवासी जीवन नगर वार्ड 11 मालउत मुक्तसर पंजाब उम्र करीब 54 वर्ष

(2). अर्जुन पुत्र लड्डूनाथ निवासी दत्ता रोड जौगीनयनवाली बस्ती कोटसेखा मोगा पंजाब उम्र करीब 20 वर्ष

(3). नैलूनाथ पुत्र माखननाथ निवासी जीवननगर वार्ड 11 मालउट मुक्तसर पंजाब उम्र करीब 40 वर्ष

(4). बाल अपचारी- उम्र करीब 17 वर्ष

04-बरामदगी

- टप्पेबाजी की गयी एक अदद पीली धातु की चेन व 3100/-रूपये नगद।
- रूद्राक्ष की मालायें, चावल, कमण्डल, कुछ मोती व कांच के छोटे शिवलिंग

05-पंजीकृत अभियोग-

(1). मु0अ0सं0 96/2025 धारा 318(4)/317(2)/3(5) बीएनएस थाना महानगर लखनऊ।

(2). मु0अ0सं0 97/2025 धारा 318(4)/317(2)/3(5) बीएनएस थाना महानगर लखनऊ।

06-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 दीपक कुमार अशोक, थाना- महानगर, लखनऊ।
2. उ0नि0 जितेन्द्र दूबे, थाना- महानगर, लखनऊ।
3. उ0नि0 सूरजभान सरोज, थाना- महानगर, लखनऊ।
4. उ0नि0 आलोक कुमार, थाना- महानगर, लखनऊ।
5. उ0नि0 प्रवीण पटेल, थाना- महानगर, लखनऊ।
6. उ0नि0 गौरव सिंह, थाना- महानगर, लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-953
दिनांक-28.04.2025

जोन- उत्तरी/ थाना-महिगवां

- **सोशल मीडिया "फेसबुक" पर प्रतिष्ठित/सम्मानित व्यक्तियों की फोटो एडिट करते हुए अपमानजनक पोस्ट करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **अपमानजनक पोस्ट कर साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले आरोपी अभियुक्त को 12 घंटे के अन्दर किया गया गिरफ्तार।**
- **थाना महिगवां पुलिस की कार्यवाही।**

01-सक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 28.04.2025 को सूचना प्राप्त हुयी कि इरफान अली पुत्र बद्दल उम्र 50 वर्ष निवासी पुर पोस्ट पहाड़पुर थाना महिगवां लखनऊ के द्वारा अपने मोबाइल फोन से अपने फेसबुक आईडी से एक अपमानजनक एवं आपत्तिजनक पोस्ट को प्रसारित किया गया, जिसमें देश/प्रदेश के विभिन्न प्रतिष्ठित/सम्मानित व्यक्तियों की फोटो एडिट करते हुए अपमानजनक पोस्ट किया गया है।

उक्त पोस्ट फेसबुक पर इरफान अली द्वारा सार्वजनिक रूप से वायरल की गई है, इस सूचना पर उ0नि0 मय हमराह हे0का0 लाल मोहम्मद ने ग्राम पुर पोस्ट पहाडपुर थाना महिगवां जनपद लखनऊ पहुंचे जहां मौके पर उक्त पोस्ट को लेकर गांव के काफी लोग एकत्रित थे तथा विपक्षी इरफान उपरोक्त उसी पोस्ट को लेकर ग्रामीणों से आमादा फौजदारी हो रहा था।

गिरफ्तारी के अलावा अन्य कोई चारा न देख कारण गिरफ्तारी बताते हुए विपक्षी इरफान उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 170 बी0एन0एस0एस0 में समय 11.10 बजे हिरासत पुलिस में नियमानुसार लिया गया। यदि गिरफ्तारी न की जाती तो पुनः संज्ञेय अपराध की घटना कारित कर शान्ति व्यवस्था भंग कर देता।अपराध नियन्त्रण कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु आरोपी इरफान उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 170/126/135 बी0एन0एस0एस0 में चालान मा0 न्यायालय किया गया।

इसके अतिरिक्त अभियुक्त गिरफ्तार उपरोक्त के विरूद्ध थाना महिगवां पर मु0अ0सं0 61/2025 धारा 196 (1)एबीएनएस व धारा 67 आईटी एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

02-अपराध का तरीका:-

अभियुक्त द्वारा अपमानजनक पोस्ट कर शांति व्यवस्था भंग करने का कृत्य किया गया है।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

01-इरफान अली पुत्र बद्दल उम्र 50 वर्ष निवासी पुर पोस्ट पहाड़पुर थाना महिगवां लखनऊ (व्यवसाय-गेस्ट हाउस में केयर टेकर का काम)।

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम थाना महिगवां-

1. उ0नि0 श्री सुनील कुमार
2. हे0का0 लाल मोहम्मद

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-957

दिनांक-28.04.2025

जोन- उत्तरी/ थाना-मलिहाबाद

- **आपसी रंजिश में जान से मारने की नीयत अवैध पिस्टल से फायर करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से 01 अदद अवैध पिस्टल, 02 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर व 02 अदद खोखा 32 बोर बरामद।**
- **थाना मलिहाबाद पुलिस की कार्यवाही।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 28.04.205 को वादी श्री राशिद अली पुत्र जाहिद अली निवासी ग्राम ढेढेमऊ थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ के लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 103/2025 धारा 109/351(2)/352 बीएनएस बनाम पवन राठौर पुत्र स्व0 श्री कल्लू राठौर निवासी ग्राम सैफल पुर थाना काकोरी जनपद लखनऊ उम्र करीब 55 वर्ष पंजीकृत किया गया था ।

अभियुक्त पवन राठौर द्वारा रंजीशन वादी मुकदमा के ऊपर अपने अवैद पिस्टल से जान से मारने की नियत से फायर कर देना जिसमें वादी मुकदमा बाल बाल बच गये थाना स्थानीय द्वारा मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को अवैध पिस्टल व 02 अदद जिंदा कारतूस 32 बोर के साथ सैफल पुलिया के पास से गिरफ्तारी का कारण बताते हुये गिरफ्तार किया गया, तथा अवैध पिस्टल व कारतूस बरामद होने पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी है तथा अभियुक्त उपरोक्त को न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा जा रहा है ।

02-अपराध का उद्देश्य-

अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा के ऊपर अपने अवैध पिस्टल से फायर कर देना ।

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—

1.पवन राठौर पुत्र स्व0 श्री कल्लू राठौर निवासी ग्राम सैफल पुर थाना काकोरी जनपद लखनऊ उम्र करीब 55 वर्ष(व्यवसाय-मेहनत मजदूरी) ।

04-अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0105/92 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ ।

2. मु0अ0सं0 103/2025 धारा 109/351(2)/352 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मलिहाबाद लखनऊ ।

05- बरामदगी का विवरण –

01 अदद अवैध पिस्टल, 02 अदद जिंदा कारतूस 32 बोर, 02 अदद खोखा कारतूस 32 बोर

06-थाना स्थानीय की पुलिस टीम

1.प्रभारी निरीक्षक श्री सुरेन्द्र सिंह

2.वरि0उ0नि0 संजय यादव

3.उ0नि0 श्री सैय्याद हुसैन खाँ

4.उ0नि0 श्री विवेक कुमार

5. उ0नि0 श्री अमन कुमार श्रीवास्तव